



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 438(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), तारीख 13 सितम्बर, 2012 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 683(अ) तारीख 13 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'क' नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के विभिन्न समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह "क" नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अभिप्रेत है;

- (घ) “विभागीय छानबीन समिति” से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन अनुसूची 1 में सम्मिलित किसी सेवा में अकृत्यकारी चयन श्रेणी अथवा अकृत्यकारी उन्नयन क्रमशः प्रदान करने के लिए किया गया है और ऐसी समिति की संरचना अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी;
- (ङ) “परीक्षा” से ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है जिसका संचालन आयोग द्वारा किया गया है जिसमें सेवा अथवा अन्य ऐसी सेवा अथवा सेवाएं हैं जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (च) “श्रेणी” से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है ;
- (छ) “पद” से नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी अभिप्रेत है ।
- (ज) “नियमित सेवा” से किसी श्रेणी के संबंध में उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार उस श्रेणी में चयन के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इनके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं जो,-
- (i) सेवा के आरंभिक गठन पर इन नियुक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली गई हों ;
- (ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध न होने के कारण धारण नहीं किया है ;
- (झ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ञ) “सेवा” से भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह ‘क’ अभिप्रेत है ;

3. सेवा का गठन – (1) नियम 5 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह ‘क’ नामक एक सेवा का गठन किया जाएगा ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पदों का वर्गीकरण समूह ‘क’ पद के रूप में किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा का गठन उन अधिकारियों से होगा जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पहले ही भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह ‘क’ में विभिन्न श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्त किए जा चुके हैं ।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत स्थायी संख्या, उससे उपाबद्ध प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के लागू होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों को प्राधिकृत स्थायी संख्या वे होगी जो कार्यभार में परिवर्तन के अधीन रहते हुए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

5. सेवा का भावी रखरखाव- (1) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्तियों को इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरा जाएगा ।

(2) श्रेणी VIII (कनिष्ठ समयमान) अर्थात् सहायक सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रीति में आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी।

(3) श्रेणी VIII (कनिष्ठ समयमान) अर्थात् सहायक सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की पचास प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वापक औषधि विभाग के समूह 'ख' अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी पोषक काडरों में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, अर्थात् :-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक और स्वापक औषधि विभाग में जिला अफीम अधिकारी या आसूचना अधिकारी या अधीक्षक (कार्यकारी);

(ii) सीमा शुल्क विभाग में सीमा शुल्क अधीक्षक (निवारक) ; और

(iii) सीमा शुल्क विभाग में सीमा शुल्क अंकक ।

टिप्पण- उपनियम 3 के खंड (i) में वर्णित अधिकारियों की श्रेणियों में से समूह 'ख' से समूह 'क' में प्रोन्नति करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों और स्वापक औषधि विभाग के जिला अफीम अधिकारियों या आसूचना अधिकारियों या अधीक्षक (कार्यकारी) के उनके संबंधित प्रवर्ग या पद पर अधिकारियों द्वारा विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में एक सम्मिलित पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

(4) (क) प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को नियम (5) के उपनियम (3) के उपखंड i, ii एवं उपखंड iii में उल्लिखित अधिकारियों के 3 समूह 'ख' प्रवर्गों में से प्रत्येक 16 रिक्तियों के समूह के लिए क्रमशः 13:2:1 के अनुपात में भरा जाएगा ।

(ख) 16 रिक्तियों में से पहली 13 रिक्तियों को उपनियम (3) के उपखंड i में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा, 14वीं और 15वीं रिक्ति को उक्त उपनियम (3) के उपखंड ii में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा और 16वीं रिक्ति को उपनियम (3) के उपखंड iii में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा।

(5) सेवा की श्रेणी VII (ज्येष्ठ समयमान) अर्थात् सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त की नियुक्तियां अनुसूची 3 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ अगली निम्न श्रेणी में अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(6) (क) सिवाय कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की प्रोन्नति (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) अनुसूची 4 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी ।

(ख) अनुसूची 4 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) का पदस्थापन वरिष्ठता के आधार पर योग्यता और उपयुक्तता के अधीन चयन द्वारा किया जाएगा।

6. परिवीक्षा और पुष्टि - (1) कनिष्ठ समयमान में सेवा में नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी चाहे प्रत्यक्ष भर्ती या प्रोन्नति द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा :

परंतु यह कि नियंत्रण अधिकारी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार का कोई विनिश्चय परिवीक्षा की आरंभिक अवधि के समाप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर सामान्यतः ले लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के बारे में संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर यदि स्थायी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है तो अधिकारियों को उनके पदों पर नियमित आधार पर रखे रहने दिया जाएगा और उनकी पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, वह, यथास्थिति, अधिकारी को उन्मोचित कर सकेगा या उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा ।

(4) परीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान परीक्षा को समाधानप्रद रूप से पूरा करने की एक शर्त के रूप में, नियंत्रण प्राधिकारी किसी अधिकारी से प्रशिक्षण और अनुदेशों का ऐसा पाठ्यक्रम करने की और परीक्षाएं तथा जांच उत्तीर्ण करने की (जिसमें हिन्दी की परीक्षा भी है) अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(5) परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में सेवा के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

7. ज्येष्ठता – (1) इन नियमों के प्रारंभ पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पहले ही यथावधारित उनकी संबंधित श्रेणियों में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी :

परंतु यह कि यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व अवधारित नहीं की गई थी तो इसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता पर समय – समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता पर समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों द्वारा अवधारित किया जाएगा।

8. अकृत्यकारी उन्नयन प्रदान करना – (1) सेवा के सदस्यों को अकृत्यकारी उन्नयन केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके निमित्त समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार और अनुसूची IV के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट विभागीय छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(2) सभी विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति मानक जिसमें किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन में उन्नयन के लिए, “बेंचमार्क” भी है को उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए जांच के समय पूरा करना होगा।

9. सेवा की शर्तें – (1) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने का जिसके अंतर्गत भारत से बाहर सेवा भी है, दायी होगा।

(2) सेवा के किसी अधिकारी की सेवा के किसी मामले से संबंधित शर्तें जिनके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है वह वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को साधारणतया समय-समय पर लागू होती हैं।

10. अवशिष्ट विषय – वे विषय जो विशिष्टतया इन नियमों या अनुदेशों या आदेशों या उनके तद्विन जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को साधारणतया लागू नियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. निर्वाचन – यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो इसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह उसका विनिश्चय करेगी।

अनुसूची I

[नियम 3 का उप-नियम (3) एवं नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]

(सेवा में सम्मिलित पदों की श्रेणियां, संख्या एवं वेतनमान)

क्र.सं.	सेवा की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी I), उच्चतम श्रेणी	14	उच्चतम वेतनमान रूपए 80,000 (नियत)
2.	मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी II), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+)	38	(उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+) रूपए 75,000 - 80,000
3.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी III), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	100	(उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी) रूपए 67,000 – 79,000
4.	आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी IV), (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	340	वेतन बैंड 4, 37,400 – 67,000 रूपए + ग्रेड वेतन 10,000 रूपए
5.	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी V), (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी)		वेतन बैंड 4, 37,400 – 67,000 रूपए + ग्रेड वेतन 8,700 रूपए
6.	संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VI), (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	932	वेतन बैंड 3, 15,600 – 39,100 रूपए + ग्रेड वेतन 7,600 रूपए
7.	उप आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VII), (ज्येष्ठ समयमान)	801	वेतन बैंड 3, 15,600 – 39,100 रूपए + ग्रेड वेतन 6,600 रूपए
8.	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VIII), (कनिष्ठ समयमान)	1249	वेतन बैंड 3, 15,600 – 39,100 रूपए + ग्रेड वेतन 5,400 रूपए

टिप्पण: वेतन बैंड 4, 37,400– 67,000 रूपए + ग्रेड वेतन 8,700 रूपए में 'अकृत्यकारी चयन श्रेणी' के पदों की संख्या कैडर में ज्येष्ठ कर्तव्य पदों के 30% (अर्थात् वेतन बैंड के साथ ग्रेड वेतन 6600 रूपए के पदों और उससे ऊपर) तक ही सीमित होगी और कैडर की समग्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा 'अकृत्यकारी चयन श्रेणी' में परिचालित किए जाने वाले पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-II

[नियम 5 का उपनियम (2) देखें]

परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा की श्रेणी -8 (कनिष्ठ समयमान) में पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयुसीमा।

1. अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से किसी एक की डिग्री होनी चाहिए-

(i) भारत में, संसद के अधिनियम या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय;

अथवा

(ii) संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1965 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन घोषित समविश्वविद्यालय अथवा समतुल्य।

टिप्पण 1: अपवादकारी मामलों में आयोग पूर्वोक्त किसी भी अर्हता न रखने वाले किसी अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त मान सकेगा; बशर्ते उसने अन्य संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं जिनका मानक आयोग की राय में उसकी परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है।

टिप्पण 2: वृत्तिक और तकनीकी अर्हताएं जिन्हें सरकार द्वारा वृत्तिक और तकनीकी उपाधि के समकक्ष मान्यता दी गई है, रखने वाला अभ्यर्थी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

2. जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है उस वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन 32 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

टिप्पण 1: विहित आयु सीमा में वर्षानुवर्ष के लिए आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तन हो सकेगा।

टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों और आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए समय-समय पर यथाअधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए अधिकतम आयुसीमा भी शिथिल की जा सकती है।

अनुसूची-III

(नियम 5 देखें)

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'क' की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित पदों पर प्रोन्नति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अगली निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन श्रेणी का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी I), (उच्चतम श्रेणी)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	(वेतनमान रूपए 75,000 – 80,000 में वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर पर ऐसे उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+(श्रेणी-2) के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो)
2.	मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी II), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	(वेतनमान रूपए 67,000 – 79,000 में वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर पर ऐसे उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी-3) के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो)
3.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी III), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन बैंड-4, 37600-67000 रूपए + ग्रेड वेतन 10000 रूपए में के ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' में 25 वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी-4) में 1 वर्ष की सेवा की हो

4.	आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी IV), (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 7600 रूपए में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी 6) के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसके अंतर्गत अकृत्यकारी चयन श्रेणी (श्रेणी 5) में की गई सेवा यदि कोई हो, भी है अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी-6) में नियमित 4 वर्ष की सेवा की हो जिसके अंतर्गत अकृत्यकारी चयन श्रेणी 5 (श्रेणी 5) में की गई सेवा यदि कोई हो, भी है।
5.	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी V) की (अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	गैर-चयन आधार पर पदस्थापन	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 7600 में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने उस परीक्षा के वर्ष जिसके आधार पर अधिकारी भर्ती किया गया था, के आगामी वर्ष से संगणित किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को नियमित सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। परंतु यह कि कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ समयमान (श्रेणी 8) में प्रोन्नति की पद्धति द्वारा सेवा में प्रवेश किया है, को भी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा, परंतु उन्होंने ऐसे अधिकारियों जिन्होंने सीधी भर्ती की पद्धति के माध्यम से सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश किया है के साथ ज्येष्ठता को शामिल करने वाले नियमों के अनुसरण में समूह 'क' की नियमित सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है।
6.	संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VI), (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन बैंड-3, 15600 -39100 रूपए + ग्रेड वेतन 6600 में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने ज्येष्ठ समयमान (श्रेणी 7) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
7.	उप आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VII), (ज्येष्ठ समयमान)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + ग्रेड वेतन 5400 रूपए में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ समयमान (श्रेणी VIII) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। परंतु यह कि सेवा की श्रेणी 8 में नियुक्त किए गए अधिकारी पर श्रेणी 7 में प्रोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसने परीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो।
8.	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VIII), (कनिष्ठ समयमान)	पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ समयमान (श्रेणी VIII) में 50% रिक्तियां, नियम 5 के उपनियम (3) एवं नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसरण में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वापक औषधि विभाग में निम्नलिखित समूह 'ख' प्रवर्ग के अधिकारियों में से जिन्होंने 2 वर्ष की नियमित सेवा निम्नलिखित फीडर कैडर में पूरी की हो अर्थात् :- (क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि विभाग में जिला अफीम अधिकारी या आसूचना अधिकारी अथवा अधीक्षक (कार्यपालक) के रूप में वेतन बैंड-2, रूपए 9300-34800, + ग्रेड वेतन 4800 में सेवा की हो।

			(ख) सीमा शुल्क विभाग में अधीक्षक सीमा शुल्क निवारक के रूप में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए, + ग्रेड वेतन 4800 रूपए में सेवा की हो। (ग) सीमा शुल्क विभाग में सीमा शुल्क अंकक के रूप में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए, + ग्रेड वेतन 4800 रूपए में सेवा की हो।
--	--	--	--

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से अथवा उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

अनुसूची-IV

(नियम 5 का उपनियम 6 देखें)

विभिन्न सेवा के विभिन्न वेतनमानों, श्रेणियों में सम्मिलित किए गए पदों पर प्रोन्नति, पुष्टि और अकृत्यकारी उन्नयन पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा विभागीय पुष्टि समिति अथवा विभागीय छानबीन समिति की संरचना

क्र.सं.	वेतनमान अथवा श्रेणी	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा अकृत्यकारी चयन श्रेणी पर विचार करने के लिए विभागीय छानबीन समिति	पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	अकृत्यकारी उन्नयन पर विचार करने के लिए विभागीय छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी I), (उच्चतम श्रेणी)	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव (राजस्व) – सदस्य 3. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य 4. ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2.	मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी II), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी+)	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव (राजस्व) – सदस्य 3. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य 4. ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी III), (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष	लागू नहीं होता	1. सचिव (राजस्व)-अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड – सदस्य

		3. सदस्य (कार्मिक और सतर्कता), के अतिरिक्त - ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सदस्य		4. सदस्य (कार्मिक और सतर्कता), के अतिरिक्त - ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सदस्य
8.	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी VIII), (कनिष्ठ समयमान)	1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड - सदस्य 3. ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सदस्य	1. ज्येष्ठतम सदस्य, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सदस्य 3. निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सदस्य	लागू नहीं होता

[फ़ा. सं. 12018/3/2014- प्रशा. II]

जोसफ एंटनी, अवर सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A' Rules, 2012 published by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue vide G.S.R No.683 (E) dated the 13th September, 2012 in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section (3), Sub-Section (i) dated the 13th September, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to various Group 'A' posts of Indian Revenue Service (Customs and Central Excise), Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules shall be called the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A' Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board" means the Central Board of Excise and Customs;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Controlling Authority" means the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue;

(d) "Departmental Screening Committee" means the Committee constituted for grant of Non-Functional Selection Grade or Non-Functional Upgradation respectively in any grade of the Service included in Schedule I and the composition of the Committee shall be as specified in Schedule IV.

(e) "Examination" means the competitive examination conducted by the Commission for recruitment to the Service or such other service or services as may be specified by the Commission from time to time;

(f) "grade" means a grade of the Service;

(g) "post" means any post, whether permanent or temporary specified under rule 4;

(h) “regular service”, in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods-

(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a post in that grade on regular basis but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(i) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;

(j) “Service” means the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group ‘A’.

3. Constitution of Service.- (1) There shall be constituted a Service known as the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group ‘A’ consisting of persons appointed to the Service under rule 5.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group ‘A’ posts.

(3) The Service shall, on the date of commencement of these rules, consist of officers who have already been appointed to the Indian Customs and Central Excise Group ‘A’ in the various grades as specified in Schedule I on a regular basis.

4. Grades, authorised strength and their review.- (1) The authorised permanent strength in various grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each grade and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified in Schedule 1.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various grades of the service shall be as may be determined by the Central Government from time to time subject to variation depending on workload.

5. Future maintenance of the Service.- (1) The vacancies in any of the grades specified in Schedule I shall be filled in the manner as hereinafter provided in this rule.

(2) Fifty per cent of the vacancies in Grade VIII (Junior Time Scale) i.e. Assistant Commissioner of Customs and Central Excise shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Examination conducted by the Commission in the manner specified in Schedule II.

(3) Fifty per cent of the vacancies in Grade VIII (Junior Time Scale) i.e. Assistant Commissioner of Customs and Central Excise shall be filled by promotion from amongst the Group ‘B’ officers in the Central Excise, Customs and Narcotics Department, who have completed two years of regular service in any of the following feeder cadres, namely:-

(i) Superintendents of Central Excise in the Central Excise Department and District Opium Officer or Intelligence Officers or Superintendents (Executive) in the Narcotics Department;

(ii) Superintendents of Customs (Preventive) in the Customs Department; and

(iii) Appraisers of Customs in the Customs Department.

NOTE: For the purpose of making promotion from Group ‘B’ to Group ‘A’, from amongst the categories of officers mentioned in clause (i) of sub-rule 3, a combined eligibility list of Superintendents of Central Excise and District Opium Officers of Intelligence Officers or Superintendent (Executive) in the Narcotics Department shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

(4) (a) The vacancies to be filled by promotion shall be filled out of the three Group ‘B’ categories of the officers mentioned in sub-clauses (i), (ii) and sub-clause (iii) of sub-rule 3 of rule 5 in the ratio of 13:2:1 respectively for each bunch of sixteen vacancies.

(b) Out of sixteen vacancies, the first thirteen vacancies shall be filled from amongst the officers referred to in sub-clause (i) of sub-rule (3), the 14th and 15th vacancies shall be filled from amongst the officers referred to in sub-clause (ii) of the said sub-rule (3) and the 16th vacancy shall be filled from amongst the officers referred to in sub-clause (iii) of sub-rule (3).

(5) The appointments in the Service to Grade VII (Senior Time Scale) i.e. Deputy Commissioner of Customs and Central Excise and above shall be made by promotion form amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in column (4) of Schedule III.

(6) (a) The promotion of officers, except to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be made by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule IV.

(b) The placement to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be on seniority basis subject to fitness or suitability based on the recommendation of the Departmental Promotion Committee specified in column (3) of Schedule IV.

6. Probation and confirmation.- (1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Time Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the initial period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation, or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their posts on regular basis and be confirmed.

(3) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, an officer may be required by the Controlling Authority to undergo such course of training and instructions and to pass examinations, and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

7. Seniority.- (1) The relative seniority of the members of the Service on commencement of the rules shall be the relative seniority in their respective grades as already determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

(8) Grant of non-functional upgradation.- (1) Non-functional upgradation may be granted to the members of the Service in accordance with the instructions issued by the Central Government in this behalf from time to time and on the basis of the recommendation of the Departmental Screening Committee specified in column 5 of Schedule IV.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotion norms including benchmark for up-gradation to a particular grade pay shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher pay-scale.

9. Conditions of Service.- (1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India, including field service in or out of India.

(2) The conditions of service of the officer of Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the officers of Central Civil Services in general.

10. Residuary matters.- In regard to matters not specifically covered by these rules, or instructions or orders made or issued thereunder or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, instructions and orders applicable to the officers of Central Civil Service in general.

11. Disqualification.- No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

(12) Power to relax.- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government which shall decide the same.

Schedule I

[See sub-rule (3) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4]

(Grades, numbers and scales of pay of posts included in the Service)

Sl. No.	Grade of Service.	No. of posts.	Pay band and grade pay or pay scale.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Principal Chief Commissioner or Principal Director General of Customs and Central Excise (Grade I) (Apex Grade).	14	Apex Scale Rs.80,000 (fixed).
2	Chief Commissioner or Director General of Customs and Central Excise (Grade II) (Higher Administrative Grade+).	38	(Higher Administrative Grade+) Rs.75,500 - 80,000.
3	Principal Commissioner of Customs and Central Excise (Grade III) (Higher Administrative Grade).	100	Higher Administrative Grade Rs. 67,000-79,000.
4	Commissioner of Customs and Central Excise(Grade IV) (Senior Administrative Grade).	340	Pay band 4, Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs.10,000.
5	Additional Commissioner of Customs and Central Excise Junior Administrative Grade (Grade V) (Non-Functional Selection Grade).		Pay band 4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700.
6	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade VI) (Junior Administrative Grade).	932	Pay band-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs.7,600.
7	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade VII) (Senior Time Scale).	801	Pay band-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6,600.

8	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Grade VIII) (Junior Time Scale).	1249	Pay band-3, Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs.5400.
---	--	------	--

Note: The number of posts in 'Non-Functional Selection Grade' in the pay band-4, Rs. 37,400-67,000 with grade pay of Rs. 8700 shall be restricted to thirty per cent of senior duty posts in the cadre (i.e. posts in the pay band with grade pay of Rs. 6600/- and above) and there shall be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the 'Non-Functional Selection Grade' shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE II

[See sub-rule (2) of rule 5]

The minimum educational qualifications and age-limit for direct recruitment to posts in Grade VIII (Junior Time Scale) of the Service on the results of the Examination.

1. A candidate shall possess a degree from,-

(i) a University incorporated by an Act of Parliament or an Act of a State Legislature in India;

or

(i) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or equivalent.

Note 1: In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as a qualified candidate provided that he has passed examination conducted by other institution the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note 2: A candidate possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

2. A candidate shall have attained the age of 21 years but shall not have attained the age of 32 years on the 1st of August in the year in which the examination is held.

Note 1: The prescribed age limits may vary in accordance with the notifications issued by the Commission for Civil Services Examination from year to year.

Note 2: The upper age limit is also relaxable for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other backward classes and certain other categories as notified by the Commission for Civil Services Examination from time to time.

Schedule III

(See rule 5)

The method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to the posts included in the various grades of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A'.

Sl. No.	Name of post.	Method of recruitment.	Field of selection, grade and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Principal Chief Commissioner or Principal Director General of Customs and Central Excise (Grade I) (Apex Grade).	Promotion on the basis of selection.	Officers in the Higher Administrative Grade+ (Grade II) in the scale of pay of Rs. 75500 – (annual increment @ 3%) 80000 with one year regular service in the grade.
2	Chief Commissioner or Director General of Customs and Central Excise (Grade II)	Promotion on the basis of selection.	Officers in the Higher Administrative Grade (Grade III) in the scale of pay of Rs. 67000 – (annual increment @ 3%) 79000

	(Higher Administrative Grade+).		with one year regular service in the grade.
3	Principal Commissioner of Customs and Central Excise (Grade III) (Higher Administrative Grade).	Promotion on the basis of selection.	Officers in the Senior Administrative Grade (Grade IV) in the pay band-4, Rs. 37,600-67000 with grade pay of Rs. 10,000/- with three years regular service in the grade. or Officers with twenty five years regular service in Group 'A' posts in the Service, out of which one year shall be in the Senior Administrative Grade (Grade IV).
4	Commissioner of Customs and Central Excise (Grade IV) (Senior Administrative Grade).	Promotion on the basis of selection.	Officers in the Junior Administrative Grade (Grade VI) in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600/- with eight years regular service in the grade including service, if any, rendered in the Non Functional Selection Grade (Grade V); or Officers with seventeen years regular service in Group 'A' posts in the Service, out of which four years regular service shall be in the Junior Administrative Grade (Grade VI), including services, if any, rendered in the Non Functional Selection Grade (Grade V).
5	Additional Commissioner of Customs and Central Excise Junior Administrative Grade (Grade V) (Non-Functional Selection Grade).	By placement on non-selection basis.	Officers in the Junior Administrative Grade (Grade VI) in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600/- who have entered the fourteenth year in the regular service on the 1 st January of the year calculated from the year following the year of Examination on the basis of which the officer was recruited: Provided that the Junior Administrative Officers who entered the Service by the method of promotion in the Junior Time Scale (Grade VIII) shall also be considered eligible for appointment in the Non Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade, provided they have entered the fourteenth year of regular service in Group 'A' following the rules governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.
6	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade VI) (Junior Administrative Grade).	Promotion on the basis of selection.	Officers in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600/- with five years regular service in the Senior Time Scale (Grade VII).
7	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade VII) (Senior Time Scale).	Promotion on the basis of selection.	Officers in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400/- with four years regular service in Junior Time Scale (Grade VIII): Provided that an officer appointed to the Grade VIII of the Service shall not be

			considered for promotion to Grade VII until he has successfully completed the period of probation.
8	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Junior Time Scale) (Grade VIII).	Fifty per cent by direct recruitment through Civil Services Examination conducted by the Commission; Fifty per cent by promotion.	Fifty per cent of the vacancies in the Junior Time Scale (Grade VIII) shall be filled by promotion in accordance with sub-rule (3) of rule 5 and sub-rule (4) of rule 5 from amongst the following categories of Group 'B' officers in the Central Excise, Customs and Narcotics Department who have completed two years regular service in any of the following feeder Cadres, namely:- (a) Superintendents of the Central Excise in the Central Excise Department and District Opium Officer or Intelligence Officers or Superintendents (Executive) in the Narcotics Department in the pay band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800; (b) Superintendents of Customs (Preventive) in the Customs Department in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800; and (c) Appraisers of Customs in the Customs Department in the pay band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligible service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Schedule IV

(See sub-rule 6 of rule 5)

Composition of Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee or Departmental Screening Committee for considering cases of promotion, confirmation and non-functional upgradation to the posts included in the various scales or grades of the service.

S. No.	Scale or grade.	Departmental Promotion Committee for considering Promotion or Departmental Screening Committees for considering non-functional selection grade.	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation.	Departmental Screening Committee for considering non functional up-gradation.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal Chief Commissioner or Principal Director	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman	Not applicable.	Not applicable.

	General of Customs and Central Excise (Grade – I) (Apex Grade).	2. Secretary (Revenue) – Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs - Member		
2.	Chief Commissioner or Director General of Customs and Central Excise (Grade – II) (Higher Administrative Grade+).	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary (Revenue) – Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs - Member	Not applicable.	Not applicable.
3.	Principal Commissioner of Customs and Central Excise (Grade – III) (Higher Administrative Grade).	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary (Revenue) – Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs - Member	Not applicable.	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member
4.	Commissioner of Customs and Central Excise (Grade – IV) (Senior Administrative Grade).	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary (Revenue) – Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs - Member	Not applicable.	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member
5.	Additional Commissioner of Customs and Central Excise	1. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Chairman	Not applicable.	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central

	(Grade – V) (Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Senior most Member, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Joint Secretary (E), Department of Personnel and Training – Member 		<ol style="list-style-type: none"> Board of Excise and Customs – Member 3. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member
6.	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade - VI) (Junior Administrative Grade).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs – Member 	Not applicable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member
7.	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade – VII) (Senior Time Scale).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Chairman 2. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member. 3. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member 	Not applicable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs – Member 4. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs [other than Member (Personnel and Vigilance)] – Member

8.	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Grade – VIII) (Junior Time Scale).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs – Member 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senior most Member, Central Board of Excise and Customs – Chairman 2. Joint Secretary (Admn.), Central Board of Excise and Customs – Member 3. Director or Deputy Secretary (Admn.), Central Board of Excise and Customs – Member 	Not applicable.
----	--	---	--	-----------------

[F. No. 12018/3/2014-Ad.II]

JOSEPH ANTONY, Under Secy.